न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 57 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

लक्ष्मणराम पुत्र हेमाराम जाति सरगरा निवासी पीपलून पटवार हल्का गोलिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.देवाराम पुत्र लुम्बाराम जाति रबारी
2.जीवसिंह पुत्र अचलाराम
3.तेजसिंह पुत्र अचलाराम
4.दुर्गसिंह पुत्र अचलाराम जाति दरोगा
5.खीमला पुत्र गिरधारी
6.गंगासिंह पुत्र ओकाराम
7.पोनीदेवी पत्नी ओकाराम
8.गुमक पत्नी गिरधारी
9.हरिसिंह पुत्र ओकाराम जाति रावणा राजपूत
10.घेवर पुत्र उम्मेदाराम
11.बाबू पुत्र उम्मेदाराम
12.मांगया पुत्र उम्मेदाराम जाति दरोगा
13.गजेसिंह भूरसिंह
14.पृथवीसिंह पुत्र रूपसिंह
15.नीम्बसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी पीपलून, पटवार हल्का गोलिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर(राज)
16.शाखा प्रबंधक एस बी आई(एडीबी) शाखा सिवाना
17.राज. सरकार जरिये भूमिधाकर तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2019 बअनवान देवाराम बनाम जीवसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 22.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/उतरदाता संख्या 01 की खोतदारी भूमि खसरा संख्या 376 रकबा 1.3152 हैक्टर सरहद मौजा पीपलून, पटवार हल्का गोलिया तहसील सिवाना में आई हुई है जिसमे आवागमन हेतु रास्ता बदिशा दक्षिण मे स्थित अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 से 15 के खेत खसरा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 381, 380, 384, 751/383, 750/383, 385, 386, 389 के माठ से होते हुए आगे सरकारी भूमि खसरा संख्या 288 तक जाता है। उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो उतरदाता संख्या 01 की खातेदारी खेत मे आवागमन हेतु नजदीकी एवं सुलभ रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दर्ज कर राजस्व नियमों के विपरीत एकतरफा मौका रिपोर्ट पर निर्णय सुनाना, अनुचित पारित किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एकपक्षीय बनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार सिवाना ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। ग्राम पीपलून के खसरा संख्या 570, 648/549(जो खसरा नं. 648/594) आवेदन व मौका रिपोर्ट मे गलत लिखा है), 390 के संबंध मे मौका रिपोर्ट मे न तो कोई नाप बताया है और न ही कोई डी.एल.सी. रेट निर्धारित की गई है और न ही राजस्थान सरकार, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग क्रमांकः–5(1)राज–6/97/6 जयपुर दिनांक 05.03.2005 उपरोक्त परिपत्र में स्पष्ट आया है कि खातेदारों की खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकालने की कार्यवाही की जाने वाली कार्यवाही के बीच मे कोई राजकीय भूमि पडती है तो संबंधित तहसीलदार अपनी सहमति के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर को भेजेगा। जिला कलेक्टर की स्वीकृति के उपरान्त राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार अंकन किया जायेगा। उपरोक्त परिपत्र के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेसपोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेसपोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 07.121.2019 में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी ने ग्राम पीपलून की आबादी भूमि से खसरा नं. 570 गै.मु. नाला 648/594 मै.मु. नाला से खसरा नं. 388 बा.दो (सिवायचक) में से खसरा नं. 389, 386, 385, 385, 750/383, 751/383, 381, 384, 380, 376 में होते हुए रास्ते की मांग की है। उक्त आवेदित रास्ते में खसरा नं. 570, 648/594 गै.मु.नाला में वर्तमान में रास्ता मौके पर चल रहा है। खसरा नं. 388 बा.दो.(सिवायचक) सरकारी भूमि है। खसरा नं. 389, 386 के खातेदार लक्ष्मण पुत्र हेमा रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है, खसरा नं. 385, 750/383, 751/383, 381, 384, 380 व 376 के खातेदारों ने आवेदित रास्ता देने हेतु सहमति दी है। उक्त प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 02/2019 बअनवान देवाराम बनाम जीवसिंह वगै. में पारित आदेश दिनांक 19.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर